"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2006 — आषाढ़ 23, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक 16/छ.रा.वि.नि.आ./2005, विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा (181)(2) की उपधारा (जेडके), सहपठित धारा 91 (2) एवं (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और छत्तीसगढ़ शासन की स्वीकृति से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005 ।

अध्याय 1. प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005 कहलाएगा

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. **विनियम का विस्तार :**

ये विनियम आयोग के सचिव सहित, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

3. **परिभाषाएँ :**

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(ए) **''केन्द्रीय अधिनियम''** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2004 का क्रमांक 36)

(बी) **''आयोग''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,

(सी) **''अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष,

(डी) **''सदस्य''** से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य,

(ई) **''नियुक्तिकर्ता''** से अभिप्रेत है इस विनियम के परिषिष्ठ–2 में दर्शायेनुसार नियुक्त करने वाला,

(एफ) **''राज्य शासन''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,

(जी) **''सचिव''** से अभिप्रेत है आयोग का सचिव,

(एच) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक),

(2) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जिनका उपयोग इन विनियमों में किया गया है और जो इनमें परिभाषित नहीं किये गये हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में है ।

अध्याय–2 पदों की संख्या एवं वर्गीकरण

4. **अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या एवं उनका वर्गीकरण**

(1) आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या एवं वर्गीकरण परिषिष्ठ–1 में दर्शाये अनुसार होगा ।

(2) राज्य शासन से अनुमोदित होने की शर्त पर आयोग समय–समय पर परिषिष्ठ–1 में दर्शित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन, एवं उसे बढ़ा, घटा या समाप्त कर सकता है एवं पदों को पुनः वर्गीकृत कर सकता है ।

(3) आयोग, स्वयं द्वारा निर्धारित मानदेय एवं शर्तों पर उसकी सहायता हेतु सलाहकार एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर भी कर सकता है ।

5. **पदों का भरा जाना**

आयोग के लिये कंडिका–4 (1) के अनुसार प्रत्येक संवर्गों के सभी पदों पर हर समय अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवाएँ लेने की बाध्यता नहीं होगी।

अध्याय 3 : नियोजन

6. अधिकारियों/कर्मचारियों का नियोजन

(1) एक अधिकारी/कर्मचारी को उसके श्रेणी के अनुसार उसकी योग्यता एवं उपयोगिता को देखते हुए, वह जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसके अतिरिक्त अन्य किसी पद पर भी नियोजित किया जा सकता है बशर्ते की वह पद रिक्त हो और उस पद पर सेवाओं की आवश्यकता हो ।

(2) किसी अधिकारी/कर्मचारी को यदि एक या एक से ज्यादा पदों की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जावेगा ।

अध्याय 4 : नियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तें

7. नियुक्ति का तरीका

(1) आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती निम्नलिखित तरीके से होगी :–

(i) सीधी भर्ती से,

(ii) पदोन्नती से, और

(iii) केन्द्र/राज्य शासन/शासन के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर।

(2) अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती परिषिष्ठ–1 (अ) और (ब) में दर्शाये गये तरीकों से किया जावेगा ।

(3) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी, अनुशासनात्मक अधिकारी, अपील अधिकारी, एवं पुनर्विचार अधिकारी, परिषिष्ठ–2 में दर्शाये अनुसार होंगे ।

(4) इस विनियम के बनाये जाने के पहले आयोग द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति यदि उस पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं और निर्धारित अधिकतम आयु से कम हैं तो वे भी सीधी भर्ती हेतु पात्र होंगे।

(5) विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यता एवं अनुभव परिषिष्ठ–3 में दर्शाये अनुसार होगा, फिर भी आयोग यदि चाहे तो लिखित में कारण बताते हुए उपयुक्त प्रकरण में पद एवं व्यक्ति को देखते हुए नियुक्ति के लिए निर्धारित योगयता में छूट दे सकता है ।

(6) आयोग द्वारा समय–समय पर की गई प्रत्येक नियुक्ति, चरि़त्र एवं पूर्ण आचरण की जाँच के पश्चियात् होगी जैसा की आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाय।

8. चयन समिति का गठन

(1) परिषिष्ठ–1 के खण्ड (अ) में दर्शाये गये पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीद्वारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगी, :–

(i) अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष होंगे,

(ii) आयोग के सदस्य, और

(iii) आयोग द्वारा सदस्य के रूप में नामांकित एक या एक से अधिक विषय विशेषज्ञ, और

(iv) आयोग के सचिव अथवा सचिव की अनुपस्थिति में आयोग के वरिष्ठतम संचालक समिति के प्राधिकृत संयोजक होंगे

(2) परिषिष्ठ–2 के खण्ड (ब) में दर्शाये गये पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीद्वारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगी :–

(i) संचालको एवं सचिव में से वरिष्ठितम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा,

(ii) सचिव/संचालक, और

(iii) सदस्य के रूप में संयुक्त संचालक,

(v) अध्यक्ष द्वारा नामांकित उप सचिव अथवा कोई भी अन्य अधिकारी प्राधिकृत संयोजक होंगें।

(3)

(i) चयन समिति की सिफारिशें अंतिम होंगी एवं छः माह के लिए, या उस अवधि हेतु जैसा कि आयोग द्वारा आदेशित हो, वैध होंगी।

(ii) उपयुक्त प्रकरणों में समिति किसी पद के लिए स्वीकृत वेतन से उच्चतर वेतन या उस पद के वेतनमान के उच्चतर स्तर की अनुशंसा आयोग को विचार हेतु कर सकती है ।

(4) आयोग, द्वारा चयन समिति के लिए कार्य पद्धति बनाई जा सकती है ।

9. आयु सीमा :

सहायक ग्रेड–III, कम्प्यूटर सहायक, स्टेनो–टायपिस्ट, ड्राइवर, भृत्य और समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा राज्य शासन में लागू नियमानुसार होगी । दूसरे पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा आयोग द्वारा पदों के लिये आवश्यक कार्य अनुभव को देखते हुए तय की जा सकती है ।

10. आवेदन :

सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों की संख्या आयोग द्वारा निर्धारित की जावेगी और रिक्त पदों पर योग्य उम्मीद्वारों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से एवं रोजगार कार्यालय के द्वारा उपयुक्त उम्मीद्वार के नाम प्राप्त कर की जा सकती है।

11. प्रमाण पत्र :

आयोग में किसी भी पद पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीद्वारों को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

(1) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र,

(2) प्रथम नियुक्ति के मामल में उस शैक्षणिक संस्था जहाँ अंतिम बार अध्ययन किया गया हो अथवा उस शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम जहाँ पूर्व में सेवा की गई हो, से चरित्र एवं व्यवहार प्रमाण पत्र,

(3) अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन–जातियाँ, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वारों को राज्य शासन के नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र, एवं

(4) राज्य शासन के नियमानुसार निवास प्रमाण पत्र।

12. आवेदन पत्रों की जाँच :

आयोग द्वारा आवेदन पत्र के जाँच के उपरान्त योग्य आवेदन से छटनी के उपरान्त उम्मीद्वारों का साक्षात्कार लिया जावेगा । रिक्त पदों की संख्या के आधार पर उम्मीद्वारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा ।

13. उम्मीद्वारों का चयन :

चयन समिति उम्मीद्वारों की वरीयता के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी को सिफारिश करेगी ।

14. नियुक्तियाँ :

(1) चयन समिति द्वारा वरीयता के आधार पर सिफारिश की गई सूची के अनुरूप ही सभी नियुक्तियाँ की जावेंगी ।

(2) सभी चयनित उम्मीद्वारों को जो पहले शासकीय/शासकीय उपक्रम में कार्यरत न हो, को नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र और चरित्र प्रमाणीकरण कंडिका 7 (6) के अनुरूप प्रस्तुत करना होगा ।

15. परिवीक्षा :

(1) सभी सीधी भर्ती परिवीक्षा के आधार पर दो वर्ष के लिए होगी ।

(2) परिवीक्षा की समयावधि में अधिकारी एवं कर्मियों को अर्जित अवकाश, असाधारण अवकाश व चिकित्सी अवकाश की पात्रता राज्य शासन के समकक्ष अधिकारियों एवं कर्मियों को मिलने वाली सुविधा के अनुरूप रहेगी। लेकिन परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा में अनाधिकृत अनुपस्थिति परिवीक्षा की समयावधि में शामिल नहीं होगी।

(3) यदि आयोग की दृष्टि में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण नही किया है तो आयोग परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए एक या एक से अधिक किस्तों में बढ़ा सकता है। यदि बढ़ाई गई अवधि में भी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आयोग ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को सेवा से हटा सकता है ।

(4) ऐसे कर्मचारी जो परिवीक्षा अवधि में हैं, की सेवा आयोग एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर सकता है ।

(5) यदि आयोग में शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम से किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो वह व्यक्ति आयोग की सेवा में स्थाई होने तक पूर्व नियोक्ता में अपना लीयन (lien) रख सकेगा।

16. रिक्तियों का आरक्षण :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक/अन्य श्रेणी के उम्मीद्वारों हेतु पदों के आरक्षण एवं आयु सीमा से संबंधित छूट राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार होंगे एवं इन विनियमों से प्रभावित नहीं होंगे ।

17. प्रशिक्षण :

(1) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों कों आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होना होगा ।

(2) प्रशिक्षण/उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को एक निर्धारित अवधि की सेवा के लिए आयोग से अनुबंध करना होगा जो की एक माह की प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष तक की अवधि से अधिक का नहीं होगा । यह अनुबंध अवधि, प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् अधिकतम दो वर्ष तक का होगा।

आयोग में अनुबंधित अवधि तक सेवा में न रहने पर अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय तथा इस अवधि के समस्त वेतन एवं भत्ते आयोग को लौटाना पड़ सकता है।

(3) प्रशिक्षण के दौरान किसी तरह के दुराचरण/दुर्व्यवहार के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण से वापस बुलाने एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार आयोग के पास होगा । आयोग ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय की वापसी हेतु निर्णय ले सकता है।

18. पदोन्नति :

पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का विवरण एवं पदोन्नति का क्रम परिशिष्ठ–4 में दर्शाये अनुसार होगा ।

सभी पदोन्नतियाँ पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावलियों में प्रतिबिम्बित कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर होगी । पदोन्नति हेतु उम्मीद्वारों की चयन सूची उसी चयन समिति के द्वारा तैयार की जावेगी जिसका गठन इस विनियम की कंडिका 8 में सीधी भर्ती हेतु किया गया है ।

19. सेवानिवृत्ति :

समस्त अधिकारी/कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य शासन के नियमों के अनुसार आयोग की सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

20. आयोग अपनी आवश्यकतानुसार समय–समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर संविदा अथवा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है । दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी यदि उपयुक्त पाये जाते हैं तो आयोग उन्हें संविदा पर भी नियुक्त कर सकता है ।

21. किसी अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें आयोग निर्धारित करेगा जो की सामान्यतः राज्य शासन के निर्धारित सेवा शर्तों के अनुरूप होगा ।

अध्याय 5 : पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ

22. वेतनमान :

(1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतनमान परिशिष्ठ–1 में दर्शाये अनुसार होगा। भृत्य, वाहन चालक एवं इसी श्रेणी के अन्य कर्मचारी जो दैनिक वेतन पर नियुक्त किये जाएंगे उन्हें कलेक्टर रायपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर के आधार पर वेतन प्रदान किया जाएगा ।

(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ।

(3) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का पुर्ननिर्धारण राज्य शासन में उसी वेतनवर्ग/वेतनमान के पुर्ननिर्धारण अनुसार होगा ।

(4) आयोग में नियमित स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता आदि प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(5) राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को ब्याज सहित/ब्याज मुक्त ऐसे अग्रिम प्राप्त करने की पात्रता होगी जेसा कि आयोग द्वारा निर्धारित हों।

(6) केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रमों/शासन की स्वायत्त संस्थाओं से प्रति नियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति नियुक्ति भत्तों का निर्धारण आयोग द्वारा किया जावेगा ।

23. सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिक लाभ :

(1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकीय लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(2) छत्तीसगढ़ शासन/केन्द्र शासन/अन्य राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रमों से आयोग में संविलियन किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त उप कंडिका–1 में उल्लेखित प्रावधानुसार सेवानिवृत्ति पर प्रदान किये जाने वाले लाभ की गणना, उनके पूर्व सेवा काल हेतु पूर्व नियोक्ता की सहमति से निर्धारित अनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ के दायित्वों को ध्यान में रखकर दिया जावेगा ।

अध्याय 6 : विविध

24. संविदा सेवा

आवश्यकता पड़ने पर एवं उपयुक्त लिखित कारणों के अध्यधीन आयोग में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर किया जा सकता है और यह भर्ती सामान्यतः एक समय एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं होंगी ओर इस प्रकार नियुक्ति की अधिकतम अवधि 3 वर्षों की होगी किन्तु कुछ विशिष्ठ प्रकरणों में आयोग इस अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा सकता है ।

25. शिथलीकरण के अधिकार :

आयोग जनहित में एवं आवश्यक कारणों का उल्लेख करते हुए इन विनियमों में शिथलीकरण कर सकता है। इसमें आयोग के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित आर्हता का शिथलीकरण भी शामिल होगा।

26. निर्वचन :

यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह आयोग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा और यह निर्णय अंतिम होगा। विनियमों को लागू करने में किसी तरह की कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार आयोग को होगा ।

27. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 का लागू होना

(1) आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इन विनियमों के अध्यधीन, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा सामान्य शर्तें) नियम 1961 और यथासमय–समय पर जारी संशोधित प्रावधान लागू होंगे ।

(2) राज्य शासन द्वारा बनाये गये अन्य प्रासंगिक नियम भी आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे जो इन विनियमों के अतिरिक्त हों।

आयोग के आदेशानुसार

(एन.के रूपवानी)
सचिव

परिशिष्ठ–1

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं पदों की संख्या

खण्ड–''अ''
अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया और वेतनमान

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्ग (छ.ग. शासन के वर्गीकरण के अनुसार)	वेतनमान (रू. में)	भर्ती का प्रकार
1.	सचिव	1	प्रथम	18400–500–22400	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
2.	संचालक (इंजीयनियरिंग)	1	तदैव	तदैव	तदैव
3.	संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव	तदैव
4.	संयुक्त संचालक (इंजीयनियरिंग)	1	तदैव	12000–375–16500	तदैव
5.	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव	तदैव
6.	उप सचिव	1	तदैव	तदैव	तदैव
7.	उप संचालक (इंजीयनियरिंग)	1	तदैव	10000–335–15200	सीधी भर्ती
8.	उप संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव	तदैव
9.	वित्तीय विश्लेषक	1	तदैव	तदैव	तदैव
10.	विधि अधिकारी	1	तदैव	तदैव	तदैव

खण्ड–''ब''
कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया और वेतनमान

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्ग (छ.ग. शासन के वर्गीकरण के अनुसार)	वेतनमान (रू. में)	भर्ती का प्रकार
1.	निज संचिव	02	तृतीय	6500–200–10500	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
2.	निज सहायक	02	तृतीय	5500–175–9000	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
3.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तृतीय	5000–150–8000	सीधी भर्ती
4.	सहायक ग्रेड–2 / कैशियर	02	तृतीय	4000–100–6000	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
5.	सहायक ग्रेड–3	03	तृतीय	3050–75–3950–80–4590	सीधी भर्ती
6.	कम्प्यूटर सहायक	04	तृतीय	3500–80–4700–100–5200	सीधी भर्ती
7.	स्टेनोटायपिस्ट	02	तृतीय	3050–75–3950–80–4590	सीधी भर्ती
8.	वाहन चालक ग्रेड–1	02	तृतीय	3050–75–3950–80–4590	पदोन्नति
9.	वाहन चालक ग्रेड–2	02	तृतीय	2610–60–3150–65–3540	सीधी भर्ती
10.	भृत्य	07	चतुर्थ	2550–55–2660–60–3200	सीधी भर्ती

परिशिष्ठ–2

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी एवं समीक्षा प्राधिकारी

विवरण	परिशिष्ठ–1 के खण्ड 'अ' में सम्मिलित अधिकारियों के लिए	परिशिष्ठ–2 के खण्ड 'ब' में सम्मिलित कर्मचारियों के लिए
(1) नियुक्ति प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(2) अनुशासनिक प्राधिकारी,	अध्यक्ष	सचिव
(3) अपील प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(4) समीक्षा प्राधिकारी	–	आयोग

परिशिष्ठ–3
सीधी भर्ती वाले पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव

क्र.	पदनाम	न्यूनतम आवश्यक योग्यता एवं अनुभव	चाही गई अतिरिक्त योग्यता / अनुभव
01	उप संचालक (इंजीयनियरिंग)	(ए) इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी) विद्युत उत्पादन एवं उसकी उपयोगिता के क्षेत्र में 10–12 वर्ष का अनुभव (सी) विद्युत उत्पादन संयंत्र की योजना, रूपरेखा एवं संधारण का अनुभव (डी) लेखन एवं बोलचाल का अनुभव	(ए) मापदण्डों का विश्लेषण एंव विद्युत उत्पादन मापदण्डों को नियत करने एवं व्याख्या करने का ज्ञान (बी) विद्युत नियम एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (सी) कम्प्यूटर साक्षरता
02	उप संचालक (टैरिफ)	(ए) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी) विद्युत मंडल / विद्युत उपयोगिता के क्षेत्र में वाणिज्य संबंधी एवं विद्युत दरों के निर्धारण के क्षेत्र में 10–12 वर्ष का अनुभव (सी) पारेषण एवं वितरण तंत्र, नेटवर्क की उपलब्धता एवं लोड फ्लो की रूपरेखा, योजना एवं संचालन का अनुभव (डी) वाणिज्य एवं वित्तीय विशलेषण में कुशलता (ई) लेखन एवं बोलचाल का अनुभव	(ए) विद्युत उपयोगिता के क्षेत्र में वित्त एवं लेखा की जानकारी (बी) विद्युत क्रय, विद्युत क्रय अनुबंध, वाणिज्यिक मामले एवं विद्युत दर विकसित करने का अनुभव (सी) विद्युत नियम एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (डी) कम्प्यूटर साक्षरता
03	वित्तीय विशलेषक	(ए) एम.बी.ए.(वित्त) या सी.ए. / आई.सी. डब्ल्यू.ए. / सी.एफ.ए. (बी) 10–12 वर्ष का कार्य क्षेत्र में अनुभव (सी) वित्तीय विवरण के विश्लेषण एवं व्याख्या का पूर्ण ज्ञान (डी) लागत विशलेषण एवं लेखा का अनुभव (ई) कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस / स्प्रेडशीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता (एफ) अच्छे लेखन एवं बोलचाल का अनुभव	(ए) ऊर्जा क्षेत्र में वाणिज्यिक ज्ञान एवं तत्सम्बंध में व्याख्या करने का ज्ञान एवं अनुभव (बी) मूल्यांकन एवं विद्युत दर निर्धारण की जानकारी
04	विधि अधिकारी	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि (बी) वकालत करने की पात्रता (सी) कम से कम पांच वर्ष का व्यवसायिक अनुभव (डी) अच्छे लेखन एवं बोलचाल का अनुभव	(ए) विद्युत क्षेत्र का ज्ञान और / अथवा, अनुभव (बी) विनियामक नियमों की अथवा किसी यूटिलिटी का अनुभव (सी) कम्प्यूटर साक्षर

05	कनिष्ठ लेखाधिकारी	(ए) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (बी) राज्य लेखा, कोषालय संचालन, आडिट, बजट, वेतन बिल एवं लेखा संधारण कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव।	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल की भाषा में दक्षता। (बी) कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
06	सहायक ग्रेड–3	(ए) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (बी) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी/अंग्रेजी टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता (बी) कम्प्यूटर साक्षरता
07	स्टेनो टायपिस्ट	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (बी) किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन एवं हिन्दी/अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण (सी) कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव।	(ए) मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन में गति 60 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी, अंग्रेजी मुद्रणलेखन 25/40 शब्द प्रति मिनट का अनुभव (बी) द्वि–भाषीय शीघ्रलेखन वाले व्यक्ति को प्राथमिकता।
08	कम्प्यूटर सहायक	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए/पीजीडीसीएम **अथवा**	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता (बी) कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटर्वकिंग, वेवसाइट में अच्छा ज्ञान रखने वाले एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा पास व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।
		(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में स्नातक/बी.सी.ए. (बी) कम्प्यूटर के क्षेत्र में किसी भी बडे कार्यालय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव	
09	वाहन चालक ग्रेड–2	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त बोड से न्यूनतम आठवीं पास (बी) हल्के वाहन चलाने का पांच साल पुराना ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए (सी) वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव	
10	भृत्य	किसी भी मान्यता प्राप्त बोड से न्यूनतम आठवीं पास	–

परिशिष्ठ–4

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद एवं उनका पदोन्नति का क्रम

क्र.	पदोन्नत पद	पद जिनसे पदोन्नत किया जावेगा	पात्रता
1	सचिव	उप सचिव संयुक्त संचालक (इंजीयनियरिंग) संयुक्त संचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
2	संचालक (इंजीयनियरिंग)	संयुक्त संचालक (इंजीयनियरिंग)	5 वर्ष
3	संचालक (टैरिफ)	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
4	संयुक्त संचालक (इंजीयनियरिंग)	उप संचालक (इंजीयनियरिंग)	5 वर्ष
5	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	उप संचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
6	निज संचिव	निज सहायक	5 वर्ष
7	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–3	3 वर्ष
8	वाहन चालक ग्रेड–1	वाहन चालक ग्रेड–2	3 वर्ष